निगरानी / टी.ए. / 156 / 2003 / पाली
लूणसिंह बनाम शंकरसिंह आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री चिरंजी लाल दायमा, सदस्य

उपस्थिति :–
श्री विरेन्द्र सिंह राठौड, अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित, अतः एकतरफा कार्यवाही,

दिनांक : 03 दिसम्बर, 2018

निर्णय

यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध विद्वान जिला कलेक्टर, पाली के निर्णय दिनांक 3–12–2002 के प्रस्तुत की गयी है।

निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय तहसीलदार देसूरी के यहां प्रस्तुत किया गया है। खसरा नम्बर–83 रकबा .01 हेक्टेयर गैर मुमकिन चाह एवं खसरा नम्बर–84 रकबा .07 हेक्टेयर का प्रार्थी खातेदार है। सिंचाई के उद्धेश्य के लिये इस चाह पर बिजली की मोटर भी लगी हुई है। खसरा नम्बर–86 रकबा .24 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर–88 रकबा .85 हेक्टेयर भी प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर–86 एवं 88 गैर मुमकिन चाह खसरा नम्बर–83 से सिंचित होता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच में खसरा नम्बर–85 एवं 87 पडता है जिससे एक नाली माठ पर बनी हुई है। अप्रार्थी के द्वारा इस नाली को बन्द कर दिया गया है जिससे प्रार्थी के खेत की सिंचाई नहीं हो रही है। प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 29–9–1994 को प्रस्तुत कया गया। जिस पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये एवं पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गयी। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 14–10–1994 नियत की गयी। अप्रार्थी न्यायालय तहसीलदार के यहां उपस्थित हुये। तहसीलदार के द्वारा बन्द की गयी नाली को तीन दिन में खोलने के आदेश दिये गये एवं अप्रार्थी को नाली को बन्द नहीं करने हेतु निर्देशित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया गया। इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अप्रार्थी के द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली के यहां प्रस्तुत की गयी। न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली ने इस अपील को दिनांक 3–12–2002 को स्वीकार करते हुये तहसीलदार देसूरी के निर्णय दिनांक 14–10–1994 को निरस्त कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। यह निगरानी इसी आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 14–4–1994 में यह माना है कि खसरा संख्या–83 गैर मुमकिन चाह से खसरा संख्या–86 व 88 की सिंचाई होती है। बीच में खसरा संख्या–85 पडता है जिससे होकर प्रार्थी की पानी की नाली सिंचाई हेतु खसरा संख्या–83 से खसरा संख्या–86 तक कदीम से आना पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि उनके द्वारा जो सिंचाई की नाली बन्द की गयी है, उसे पुनः तैयार कर पानी निकालने के आदेश दिये जाते हैं। इस हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि भविष्य में भी स्वयं व दूसरों के द्वारा नाली रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। इस आदेश की अपील जिला कलेक्टर न्यायालय में किये जाने पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 3–12–2002 में यह आदेशित किया है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को ना तो कोई जवाब का अवसर दिया और ना ही कोई साक्ष्य आदि पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया। विवादित भूमि पर कदीमी नाली होने / ना होने के संबंध में दोनों पक्षों के कोई गवाहान के बयान भी नहीं लिये गये। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट भी स्पष्ट नही थी। केवल रेस्पोन्डेन्ट द्वारा गवाहों के शपथ पत्र को आधार मानते हुये आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट को कोई जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल रेस्पोन्डेन्ट के प्रार्थना पत्र को आधार मानते हुये कार्यवाही की है, जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश को यथावत रखना न्यायोचित नहीं है। अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुये अपीलाधीन आदेश खारिज कर प्रकरण को तहसीलदार देसूरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों को पर्याप्त सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये विवादित भूमि पर कदीमी से नाली होने की जांच कर विधिवत रूप से पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस भेजे गये, किन्तु बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं तथा प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि दिनांक 14–10–1994 के आदेश की अपील वर्ष 1997 में प्रस्तुत की गयी है। इतने विलम्ब से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कोई कारण भी अंकित नहीं है। जबकि वह तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित थे। आदेशिका पर उनके हस्ताक्षर भी है। रेस्पोन्डेन्ट के द्वारा कोई जवाब भी नहीं दिया गया है। अपीलीय न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू को तय किया जाना चाहिये। रिमाण्ड का कोई आधार ही नहीं है। प्रकरण को रिमाण्ड करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अपीलीय न्यायालय को स्वयं के विवेक से ही निर्णित करना चाहिये। सुखाचार के मामले में तहसीलदार को ही शीघ्र निर्णय लेना होता है। अतः उनकी अपील को स्वीकार करते हुये अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 3–12–2002 को निरस्त किया जावे। मैंने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। यह सही है कि दिनांक 14–10–1994 को तहसीलदार के यहां अप्रार्थी शंकरसिंह व गुलाबसिंह उपस्थित थे। तहसीलदार ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि अप्रार्थीगण के द्वारा उनकी ओर से कोई जवाब सबूत व गवाह पेश नहीं किया गया। पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट दिनांक 1–10–1994 को प्रस्तुत गयी है उसमें भी यह स्पष्टतः अंकित किया गया है कि खसरा संख्या–85 जोता हुआ है एवं उसमें नाली नहीं है। यदि उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति थी तो अपने पक्ष में गवाह एवं दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने चाहिये थे। न्यायालय में उपस्थित होकर आदेशिका में हस्ताक्षर किये जाने से यह ही स्पष्ट है कि उन्हें प्रकरण में कोई जवाब व गवाह आदि प्रस्तुत किये जाने हैं। सुखाचार के मामले में प्रकरण में समरी ट्राईल कर शीघ्रतिशीघ्र निर्णय लेना आवश्यक होता है। प्रकरण में जब दोनों पक्षों को सुना गया है तो अब अपील के स्तर पर यह नहीं माना जा सकता है कि उन्हें सुना ही नहीं गया। अप्रार्थी को कोई आपत्ति थी तो वह अपीलीय न्यायालय में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भी अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते थे। सुखाचार के मामलों को ज्यादा समय तक लम्बित नही रखा जा सकता है। राजस्व मण्डल में भी द्वितीय अपील के स्तर पर बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहना भी प्रकरण को लम्बित करने के समान ही है। अपीलीय न्यायालय को प्रकरण को प्रतिप्रेषित नहीं करके स्वयं को ही निर्णय करना चाहिये। जब प्रस्तुत गवाहान से यह स्पष्ट है कि गैर मुमकिन चाह से प्रार्थी के खाते की भूमि की पिलाई होती है एवं अप्रार्थी के खाते में से होकर के ही नाली बनी हुई है जिसे खेत को जोतकर बन्द कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की अपील स्वीकार योग्य है। फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर विद्वान जिला कलेक्टर, पाली के निर्णय दिनांक 3–12–2002 को निरस्त किया जाता है एवं न्यायालय तहसीलदार के आदेश दिनांक 14–10–1994 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(चिरंजी लाल दायमा)** **सदस्य**	

निगरानी / टी.ए. / 156 / 2003 / पाली
लूणसिंह बनाम शंकरसिंह आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए